

# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चित्तौड़गढ़

## कार्यालय आदेश

श्रीमान् निदेशक महोदय, प्रार.शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा-प्रार शैक्षिक/सी/19626/आनलाइन मान्यता/2016-17/19 दिनांक:-21-4-16, 05.08.2016, 12.08.2016, 17.08.2016, 26.08.2016 30.08.2016 एवं 2.9.16 से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में निदेशालय द्वारा गठित पैनल निरीक्षण दल की अनुशंसा के आधार पर निम्न गैर सरकारी विद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2016-17 में निम्न शर्तों के अन्तर्गत विद्यालयों की मान्यता/क्रमोन्नति निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उपनियम 4 के अधिन विद्यालयों को मान्यता /क्रमोन्नति प्रमाण पत्र प्रारूप 2 में प्रदान किया जाना है:-

1. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं 1993 की पालना करनी होगी।
2. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जावेगी।
3. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन करने से पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
4. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों/नियमों/निर्देशों की पालना करनी होगी एवं वांछित सूचनाएं/अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे।
5. मान्यता हेतु निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 व 19 की एवं 2011 की पालना अनिवार्य है अन्यथा इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार तय तरीके से वापस ली जा सकेगी।

क्र.सं.	नाम विद्यालय	नई मान्यता/क्रमोन्नति
1	युएस ओस्तवाल इन्टरनेशनल स्कूल मंगलवाड ब्लॉक डुंगला	नवीन मान्यता
2	रसीकलाल मानिकचंद धारिवाल प्राथमिक विद्यालय भदोसर	नवीन मान्यता
3	टैगोर पब्लिक स्कूल भावलिया	नवीन मान्यता
4	आई सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल निम्बाहेडा	क्रमोन्नति

जिला शिक्षा अधिकारी,  
प्रार. शिक्षा, चित्तौड़गढ़  
दिनांक 20.09.2016

क्रमांक-जिशिवि/प्राशि/निजीविद्या/मान्यता/2016-17/ 441  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. श्रीमान् शिक्षा उपनिदेशक महोदय, प्रारम्भिक शिक्षा उदयपुर मण्डल उदयपुर।
3. सम्बन्धित ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, .....
4. सम्बन्धित संस्था संचालक
5. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,  
प्रार. शिक्षा, चित्तौड़गढ़